

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु मिले एवं इस दुरस्ती को कर हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है। दुरस्ती परसुत लिखित नुस्ते सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परसुत सहमति से कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना की तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने की निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

1	2	पूर्व इन्द्राज		स्वीकृत किया गया इन्द्राज			
		3	4	5	6	7	8
प्राग का नाम	खसता संख्या	खालेदार का नाम	खसता संख्या	रकबा	खालेदार का नाम	खसता संख्या	रकबा
श्यामसौमी	342	गीतादेवी श्रीरासिंह 1/24	670	0.24	गीतादेवी श्रीरासिंह 1/24	670	0.24
		श्रीरासिंह 1/24	708	0.89	श्रीरासिंह 1/24	708	0.89
		रजेंद्र प्रसाद श्रीरासिंह 1/24	727	1.26	रजेंद्र प्रसाद श्रीरासिंह 1/24	727	1.26
		श्रीरासिंह 1/24	03	2.39	श्रीरासिंह 1/24	03	2.39
		सुमित्रा देवी श्रीरासिंह 1/24			सुमित्रा देवी श्रीरासिंह 1/24		
		सुमित्रा देवी श्रीरासिंह 1/24			सुमित्रा देवी श्रीरासिंह 1/24		
		कौम जाट सा 03			कौम जाट सा 03		

क्रमांक :- 1072
14.12.21

तिलिपे पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी
शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

शिविर प्रभारी
शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर
दिनांक :-

2. ग्राम पालनार्थ :-

1. परिवार हलवा, श्यामसौमी को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर